हायर प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22.5.19 पारित कम न्यायालय उपजिलाधिकारी तरबगंज [illegible] धारा .80 [illegible] T201883047062438 [illegible] राजीव कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मौजा परसापुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज [illegible] 25.5.19

मण्डलः- देवीपाटन,जनपदः- गोंडा,तहसीलः- तरबगंज

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्याः- 2438/2018

राजीव कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201883047062438

अंतर्गत धाराः- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथिः- 22/05/2019

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही राजीव कुमार तिवारी पुत्र रूद्र प्रसाद निवासी इंदिरा नगर लखनऊ वारिदहाल ग्राम सरांवा परगना डिकसिर तहसील तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के अन्तगत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल /राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार ,तरबगंज की जांच आख्या दिनांक 04.10.2018 पर प्रारंभ हुआ। उक्त आख्या में मुख्यरूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदक राजीव कुमार तिवारी पुत्र रूद्र प्रसाद तिवारी प्रबंधक जनकलली शिक्षण संस्थान इम्पल्स इण्टरनेशनल स्कूल गाटा संख्या 1281ख/0.1500हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है। अंत में जांच अधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यो एवं तहसीलदार, तरबगंज की जांच आख्या दिनांक 04.10.2018 का भाति भांति परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम परसापुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जिला गोण्डा की खतौनी वर्ष 1421-26 फसली के खाता संख्या 00200 पर आवेदक का नाम दर्ज अभिलेख है तहसीलदार, तरबगंज द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या-1281ख/0.1500हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2006 एवं सपठित उ0प्र0रा0सं0 नियमावली 2016 में विहित विधिक प्राविधानों के अनुसार उप निबंधक, तरबगंज की आख्या दिनांक 23.01.2019 के क्रम में उद्घोषणा शुल्क एवं न्यायालय शुल्क मु0 8100.00रू0 जरिये चालान जमा एवं मु0 8100.00 रूपये का स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है।

ऐसी स्थिति में गाटा संख्या-1281ख/0.1500 हे0 भूमि काबिले काश्त न रहकर अकृषिक रूप में प्रयोग की जा रही है जिसे उ0प्र0रा0सं0 की धारा- 80 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने से कोई बिधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

अतः तहसीलदार तरबगंज की जाच आख्या दिनांक 04.10.2018 के आधार पर ग्राम परसापुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जिला गोण्डा की गाटा संख्या- 1281ख/0.1500 हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार तरबगंज की आख्या दिनांक 04.10.2018 आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति उप निबंधक ,तरबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। वाद आलेखन पत्रावली संग्रहित अभिलेखागार हो।

[illegible] 22.5.19

(संगम लाल यादव)

उप जिलाधिकारी,

तरबगंज।

दिनांकः / / 2019

महोदय, R-6 पर अंकना [illegible]

25.5.19